WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) गौतमबुद्धनगर

CNR-UPGB010002702021

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–136/2021

राज्य बनाम उमेश कुमार, सीमा, संध्या व मिकयंगली (मिसयोजी) उर्फ अनमोल

मु0अ0सं0–998/2020

धारा–295ए भा0दं0सं0 व 3/5 (1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020

थाना–सूरजपुर

जनपद–गौतमबुद्धनगर।

WWW.LIVELAW.IN

आदेश/21–01–2021

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उमेश कुमार, सीमा, संध्या व मिकयंगली (मिसयोजी) उर्फ अनमोल द्वारा, संक्षेप में, इन आधारों पर, जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में पुलिस ने झूठा फॅसाया है वे निर्दोष है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उक्त मुकदमे से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को वादिया द्वारा पुलिस से साज करके झूंठा फॅसाया गया है जबकि अभियुक्त सीमा, संध्या एवं अभियुक्त उमेश कुमार, स्वतः जाति से हिन्दू है और अभियुक्ता अनमोल एक कोरियन टूरिस्ट वीजा पर है। प्रार्थी/ अभियुक्त अनमोल के टूरिस्ट होने के सम्बन्ध में प्रार्थिया/अभियुक्ता के पास पुरात्तव विभाग/परियटन स्थल के टिकट आदि हैं जिन्हें प्रार्थिया दाखिल कर रही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने वादिया आदि को को किसी प्रकार का राशन आदि का वितरण नहीं किया है और न ही किसी प्रकार के रूपये से कोई मदद नहीं की थी। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण से अथवा वादिया से पुलिस द्वारा कोई रूपया आदि बरामद नहीं किया गया है, जबकि कथित वादिया ने रूपया लेना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से देना स्वीकार किया है। एफ0आई0आर0 में कथित घटना से सम्बन्धित जो भी दिनांक अथवा समय नियत है वह बिल्कुल झूंठा एवं असत्य है जिससे प्रतीत होता है कि एफ0आई0आर0 पूर्णः साजिशन एवं झूठे कथनो पर की गयी है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण ने कोई किसी प्रकार का वादिया आदि को धर्मान्तरण आदि का प्रलोभन नहीं दिया है और न ही वादिया अथवा पुलिस के पास कथित प्रलोभन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण दिनांक 20.12.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से राजकुमार द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अपने आधार कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन के अनुसार, यह प्रकरण विदेशी नागरिक के साथ मिलकर दुर्व्यपदेशन, असम्यक प्रभाव, प्रलोभन एवं कपटपूर्ण साधनो द्वारा दो महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराये जाने से सम्बन्धित है। अभियोजन के अनुसार उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 की धारा 2(च) के अनुसार, सामूहिक धर्म संपरिवर्तन का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियो का धर्म संपरिवर्तन कराना होता है। अभियोजन के अनुसार, जिसका उक्त अध्यादेश की धारा 5 के अनुसार न्यूनतम दण्ड 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष एवं न्यूनतम अर्थदण्ड 50 हजार रूपये है।

अभियोजन के अनुसार, प्रस्तुत प्रकरण दो महिलाओ के धर्म संपरिवर्तन के अपराधो से सम्बन्धित है जिनके द्वारा यह अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तगण जिनमे एक विदेशी नागरिक भी सम्मिलित है, 3 माह के टूरिस्ट वीजा पर भारत आयी थी परन्तु पर्यटन के स्थान पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर नागरिको के धर्म संपरिवर्तन के गंभीर अपराध में संलग्न है जिसके लिए उपरोक्त दण्ड का प्राविधान किया गया है। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तगण इन अभियोग की वादिनी श्रीमती अनीता शर्मा एवं मुस्की गुप्ता के घर शनिवार एवं रविवार को आने–जाने लगे और राशन देने के बहाने अस्थायी चर्च पर बुलाया और राशन दिया। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्तगण ने वादिया अनीता शर्मा को 7 हजार रूपये एवं एक माह का राशन दिया और मुस्की गुप्ता को 3 हजार रूपये और 2 माह का राशन दिया और उक्त दोनो से उनके घरो में रखी देवी देवताओ की तसवीर हटाने और धर्म परिवर्तन करने पर 10–10 लाख रूपये देने के लिए कहा। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनवरत इस कार्य में संलिप्त है जिनके संबंध में यह अभियोग जागरूक महिलाओ द्वारा पंजीकृत कराया गया। अभियोजन के अनुसार, कुछ अभियुक्तगण स्वयं को हिन्दू कहते हुए जमानत प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहे है परन्तु उनके द्वारा पूर्व में ही धर्म संपरिवर्तन कर लिया गया है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे है, तद्नुसार वे किसी विधिक अनुतोष अथवा न्यायिक सहानुभूति के पात्र नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो में अपराध की प्रकृति गंभीर है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

(पवन प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

WWW.LIVELAW.IN